तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.12.2019	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित वादी मनजोतसिंह की और से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गयाशामिल पत्रवली किया गया। प्रकरण में किसी प्रकार का प्रतिवाद न होनें पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं करनें का कथन करते हुए बहस हेतु निवेदन किये जानें पर विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्तागण की समायत बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा होनें से किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जानें के उपरान्त अन्तिम डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उप
पीठासीन अधिकारी
राजस्व वाद संख्या
1 मनजोत सि
तहसील स
1 गुरमेल सि
तहसील स
2 प्रगट सिं
तहसील स
3 बलकरण
तहसील
4 मनदीप क
तहसील
5 सुखवीर
तहसील
6 हरप्रीत क
तहसील
7 नवदीप
पत्नी श्री
सादुलश
8 सोनप्रीत
सादुलश
9 ओरियन
जरिये
1. श्री सु
2. श्री भ
वादी
ए. के तहत
1 के नाम
पत्थर नम्बर
11/1, 20,
नम्बर 60/1

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या – 384/2019 अनवान मनजोतसिंह बनाम गुरमेलसिंह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 384/2019

1 मनजोत सिंह पुत्र श्री प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर । – – वादी

–:: बनाम ::–

1 गुरमेल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

2 प्रगट सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3 बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

4 मनदीप कौर पुत्री श्री गुरमेल सिंह पत्नी श्री महंगा सिंह जाति जटसिख निवासी ढावा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर।

5 सुखवीर कौर पत्नी श्री प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

6 हरप्रीत कौर पत्नी श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

7 नवदीप सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता हरप्रीत कौर पत्नी श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

8 सोनप्रीत पुत्री श्री प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

9 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पक्का सारना, तहसील व जिला हनुमानगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अधिवक्ता वादी
2. श्री भवानीसिंह निर्वाण अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 8

दिनांक :– 11.12.2019

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 32 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 30/24 के पत्थर नम्बर 63/195 (21) किला नम्बर 21 से 24, पत्थर नम्बर 64/196 (23) किला नम्बर 11/1, 20, 21, पत्थर नम्बर 63/196 (24) किला नम्बर 1 से 5, 7 से 10, 16 से 25, पत्थर नम्बर 60/199 (40) किला नम्बर 8 से 10 कुल 7.299 हैक्टर नहरी व अनकमाण्ड दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो वादी के दादा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 36 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर में 5 बीघा कृषि भूमि ओर है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मध्य घराघरू बंटवारा किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 8 ने वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा वादी व दीगर प्रतिवादीगण के पक्ष में तर्क किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 4 व 8 उक्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहती है। मुताबिक घराघरू बंटवारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को चक 32 एम.एम.के. के खाता संख्या 47 में 1.265 – 1.265 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई जो उनके नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में 1.012 – 1.012 हैक्टर कृषि भूमि प्रत्येक को प्राप्त हुई है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 काबिज काश्त है। मुताबिक घराघरू विभाजन के कारण ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कुल 7.299 हैक्टर कृषि भूमि में से मात्र अपने हक व हिस्से की 3.251 हैक्टर कृषि भूमि ही प्रतिवादी संख्या 9 के यहां रहन रखी हुई है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को घरू विभाजन में प्राप्त हुई है व घरू बंटवारा अनुसार ही वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के हक, हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण उक्त भूमि जो वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में से 1.012 हैक्टर कृषि भूमि की वादी अपने नाम से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

वादी ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादी को घरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करवा देवें लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। प्रतिवादी संख्या 9 के यहा प्रतिवादी संख्या 1 को कुल 7.299 हैक्टर कृषि भूमि में से अपने हक व हिस्से की 3.251 हैक्टर कृषि भूमि अधिभारित रखी होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद पत्र वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

(क) घोषणा फरमाई जावें कि वादी चक नम्बर 32 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 30 / 24 के पत्थर नम्बर 63 / 195 (21) किला नम्बर 21 से 24, पत्थर नम्बर 64 / 196 (23) किला नम्बर 11 / 1, 20, 21, पत्थर नम्बर 63 / 196 (24) किला नम्बर 1 से 5, 7 से 10, 16 से 25, पत्थर नम्बर 60 / 199 (40) किला नम्बर 8 से 10 कुल 7.299 हैक्टर नहरी व अनकमाण्ड में से 1.012 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन दर्ज फरमाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो, वादी के पक्ष में जारी फरमाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 05.12.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी

उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
सहायक कलेक्टर उपखण्डाधिकारी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त शीर्षक के वादपत्र में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पंचायत व मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नम्बर 32 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 30 / 24 के पत्थर नम्बर 63 / 195 (21) किला नम्बर 21 से 24 पत्थर नम्बर 64 / 196 (23) किला नम्बर 11 / 1, 20, 21, पत्थर नम्बर 63 / 196 (24) किला नम्बर 1 से 5, 7 से 10, 16 से 25, पत्थर नम्बर 60 / 199 (40) किला नम्बर 8 से 10 कुल 7.299 हैक्टर नहरी व अनकमाण्ड दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 36 एम.एम.के. तहसील सादुलशहर में 5 बीघा कषि भूमि ओर है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मध्य घराघरू बंटवारा किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 8 ने वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा वादी व दीगर प्रतिवादीगण के पक्ष में तर्क किया हुआ है। प्रतिवादी सख्या 4 ता 6 व 8 उक्त कृषि भूमि में अपना हक व हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहती है। मुताबिक घराघरू बंटवारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को चक 32 एम.एम.के. के खाता संख्या 47 में 1.265 – 1.265 हैक्टर कृषि भूमि प्राप्त हुई जो उनके नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 7 को वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में से 2.023 – 2.023 हैक्टर कृषि भूमि प्रत्येक को प्राप्त हुई है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 काबिज काश्त है। इस कारण उक्त कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 7 को 2.013 व 2.023 हैक्टर प्रत्येक को कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदान किये जाने व राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करने में हम मिकरान को कोई आपत्ति नहीं है व राजीनामा अनुसार वाद का निस्तारण कर डिक्री किया जावें।

अतः राजीनामा मिकरान ने अपनी स्वतंत्र इच्छा सहमति से अच्छी तरह पढ़कर समझ लिया है जिसें मिकरान स्वीकार करते है, राजीनामा लिख दिया है कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवें।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज / 6 / 97 / 10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी

लगातार 4

कारी

पक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेलसिंह पुत्र करतारसिंह के नाम चक 32 एम.एम.के. में वर्णित भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद स्वीकार होनें के कारण वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 7 पौत्र होनें पर पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेलसिंह पुत्र करतारसिंह के नाम वाद में वर्णित चक नम्बर 32 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 30 / 24 के पत्थर नम्बर 63 / 195 (21) किला नम्बर 21 से 24, पत्थर नम्बर 64 / 196 (23) किला नम्बर 11 / 1, 20, 21, पत्थर नम्बर 63 / 196 (24) किला नम्बर 1 से 5, 7 से 10, 16 से 25, पत्थर नम्बर 60 / 199 (40) किला नम्बर 8 से 10 कुल 7.299 हैक्टर नहरी व अनकमाण्ड भूमि में से उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादी मनजोत सिंह पुत्र श्री प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को 2.024 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 7 नवदीप सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता हरप्रीत कौर पत्नी श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को 2.024 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 384 / 2019

1 मनजोत सिंह पुत्र श्री प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर । – – **वादी**

–:: बनाम ::–

1 गुरमेल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

2 प्रगट सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3 बलकरण सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

4 मनदीप कौर पुत्री श्री गुरमेल सिंह पत्नी श्री महंगा सिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर।

5 सुखवीर कौर पत्नी श्री प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

6 हरप्रीत कौर पत्नी श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

7 नवदीप सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता हरप्रीत कौर पत्नी श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

8 सोनप्रीत पुत्री श्री प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

9 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पक्का सारना, तहसील व जिला हनुमानगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक। – – **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा :– 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :–11.12.2019

वादी की और से श्री सुरेन्द्र सहारण अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री भवनीसिंह निर्वाण अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 11.12.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि प्रतिवादी संख्या 1 गुरमेलसिंह पुत्र करतारसिंह के नाम वाद में वर्णित चक नम्बर 32 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 30 / 24 के पत्थर नम्बर 63 / 195 (21) किला नम्बर 21 से 24, पत्थर नम्बर 64 / 196 (23) किला नम्बर 11 / 1, 20, 21, पत्थर नम्बर 63 / 196 (24) किला नम्बर 1 से 5, 7 से 10, 16 से 25, पत्थर नम्बर 60 / 199 (40) किला नम्बर 8 से 10 कुल 7.299 हैक्टर नहरी व अनकमाण्ड भूमि में से उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादी मनजोत सिंह पुत्र श्री प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को 2.024 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 7 नवदीप सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता हरप्रीत कौर पत्नी श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर को 2.024 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
[illegible]	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.30 16:19:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: